UPGB010055652026

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 2243 सन् 2026

विक्रम जीत सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह **प्रति** उ0प्र0 सरकार।

आदेश / 17.07.2026

1. आवेदक / अभियुक्त विक्रम जीत सिंह द्वारा मु0अ0सं0 34 सन् 2025, अंतर्गत धारा 427, 380 भा0दं0सं0, थाना नॉलेज पार्क, जिला गौतमबुद्धनगर में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा श्रीमती संतोष उपाध्याय ने दिनांक 04.03.2024 को समय 16:28 बजे थाना नॉलेज पार्क, जिला गौतमबुद्धनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि मैं अपना आयकर जमा करती हूँ। अंसल प्लाजा में मेरी दुकान है, जो मैं अपने स्टाफ द्वारा चलवाती हूँ। दिनांक 22.12.2023 को मॉल मालिक सुशील अंसल, प्रणव अंसल तथा आयुश अंसल ने अपने मॉल के अंसल प्लाजा के कर्मचारीगण विक्रमजीत सिंह, अजय भाटी, संजय, भुजवल, कप्तान, प्रदीप, जगमोहन व अन्य लोगों ने मेरी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और लगभग 17 लाख रूपये के सामान की चोरी की, जोकि वीडियो में भी कैद है। मैंने कई बार अब तक इनसे सामान वापस करने का अनुरोध किया, परन्तु इन्होंने अब तक मेरा सामान नहीं लौटाया है।

3. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत में यह आधार लिया गया है कि आवेदक / अभियुक्त को पूर्ण संभावना है कि थाना हाजा की पुलिस आवेदक / अभियुक्त को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वादिनी मुकदमा श्रीमती संतोष उपाध्याय की अंसल प्लाजा मॉल, ग्रेटर नोएडा परिचौक में दो दुकानें क्रमशः कियोस्क नंबर–37 लकड़ी की दुकान जिस पर अंकन 37,34,670 / –रूपये का मेंटीनेंस बकाया था तथा दूसरी दुकान शॉप नंबर जी.एफ. 75 पर अंकन 31,61,614 / –रूपये का मैंटीनेंस बताया था। इस तरह वादिनी मुकदमा पर कुल अंकन 68,96,284 / –रूपये बकाया था, जिसे बार बार कहने के बाद भी वादिनी मुकदमा भुगतान नहीं कर रही थी। कियोस नंबर 37 जिसे फायर विभाग ने वादी मुकदमा को कई बार हटाने की हिदायत दी थी, परन्तु वादिनी मुकदमा ने हिदायत के बाद भी अपना सामान नहीं हटाया था, जिसे अंसल प्लाजा मॉल प्रबंधक ने कियोस्क नंबर 37 का सामान मॉल कर्मचारियों की मदद से वादिनी की उपस्थिति में उसकी दूसरी दुकान शॉप नंबर जी.एफ. 75 में रखवा दिया था। वादिनी मुकदमा ने अपना बकाया मैंटीनेंस मांगने पर दबाव बनाने की नीयत से उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वादिनी मुकदमा से अंसल प्लाजा प्रबंधक द्वारा बार बार कहने एवं नोटिस देने के बावजूद भी बकाया मैंटीनेंस नहीं दिया गया और झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। उपरोक्त मुकदमे में थाना हाजा की पुलिस द्वारा जांच करने पर चोरी या किसी भी प्रकार की कोई घटना का होना नहीं पाया गया है। आवेदक / अभियुक्त जांच में सहयोग करने को तैयार है। आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी जाये।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की दुकान में तोड़फोड़ करने व सामान की चोरी करने का आरोप है।

प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत नोटिस तामील कराया जा चुका है। उक्त प्रावधान का उद्देश्य यह है कि जिन मामलों में तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक न हो, वहां अभियुक्त को जांच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाये। अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस आधार इस स्तर पर अंकित नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है अथवा उसकी गिरफ्तारी विवेचना के लिए अपरिहार्य है। अभियोजन द्वारा भी ऐसा कोई विशेष तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि आवेदक/अभियुक्त के फरार होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने अथवा कार्यवाही को प्रभावित करने की सम्भावना हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्नेस कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एस.सी.सी. 273** में अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली (2020) 5 एस.सी.सी. 1** में यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत के प्रश्न पर न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस की तामील तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग करने की तत्परता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई अंतिम अभिमत व्यक्ति किये बिना इस न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विक्रम जीत सिंह** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त अभियोग में आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाये, तो उसे अंकन **50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये:–

1– आवेदक/अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगा।

2–आवेदक/अभियुक्त किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी गवाह को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करेगा।

3–आवेदक/अभियुक्त बिना पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएगा।

4–आवेदक/अभियुक्त अपना वर्तमान मोबाइल नंबर एवं पता विवेचक को उपलब्ध कराएगा तथा उसमें परिवर्तन होने पर तत्काल सूचित करेगा।

5–यदि आवेदक/अभियुक्त उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा विवेचना में सहयोग नहीं करता है, तो अभियोजन को सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गौतमबुद्धनगर
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 6075)

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.07.18 17:42:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court